कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रेस विज्ञप्ति

क्रमांक / 268 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020 रायपुर, दिनांक 04 / 05 / 2020

जिला रायपुर से अन्य राज्य जाने हेतु इच्छुक श्रमिको / पर्यटको / विद्यार्थियों / अन्य फॅसे हुये व्यक्तियों की जानकारी संकलित करने हेतु वनमंडलाधिकारी कार्यालय, पुराना पी.एच.क्यू. के सामने, जी.ई.रोड, रायपुर में काउंटर खोला गया है। संबंधित व्यक्ति **वनमंडलाधिकारी कार्यालय रायपुर** में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कर सकते है **अथवा अन्य राज्य जाने हेतु इच्छुक श्रमिक इत्यादि की जानकारी एकत्र करने हेतु विशेष हेल्पलाईन नंबर 0771–2421812 में कार्यालयीन समयावधि में कॉल कर जानकारी दे सकते है।** यह प्रपत्र केवल जानकारी एकत्र करने के लिए है, जिसे अन्य राज्य के अधिकारियों को प्रेषित किया जावेगा। संबंधित राज्य द्वारा आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था करने पर सूचित किया जावेगा।

अति आवश्यक कारणों से स्वयं की वाहन व्यवस्था से अन्य राज्य जाने के इच्छुक व्यक्ति पूर्ववत राज्य शासन द्वारा निर्धारित पृथक प्रपत्र में तहसील कार्यालय, रायपुर में आवेदन करेगें।

(राजीव कुमार पाण्डेय)
संयुक्त कलेक्टर,
रायपुर

प्रपत्र
अन्य राज्य जाने हेतु आवेदन पत्र

1. राज्य का नाम (जहॉ जाना है) ....
2. व्यक्ति का नाम ....
3. स्थाई पता (जहॉ जाना है).............................. ....
4. स्थाई पता (परिचय पत्र का प्रकार एवं क्रमांक) ....
5. पता (जिला रायपुर में) ....
6. आयु ....
7. मोबाईल नंबर ....
8. क्या सर्दी / बुखार / सांस लेने में तकलीफ / गले में कफ है?..............................
9. श्रेणी (श्रमिक / तीर्थ यात्री / पर्यटक / छात्र / अन्य श्रेणी)– ....
10. मै शपथ पूर्वक कथन करता हूॅ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा जानकारी गलत होने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

आवेदक / व्यक्ति का हस्ताक्षर

टीप :– यह प्रपत्र केवल जानकारी एकत्र करने के लिए है, जिसे अन्य राज्य के अधिकारियों को प्रेषित किया जावेगा। संबंधित राज्य द्वारा आवागमन की व्यवस्था करने पर सूचित किया जावेगा।